न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–18, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–

सरकार बनाम रामसजीवन व अन्य

अपराध संख्या–33/2020

धारा–498A, 304B भा0 दं0 सं0 व 3/4 D.P. Act.

थाना–सुबेहा, बाराबंकी।

11–05–2020

यह जमानत आवेदन, अभियुक्तगण रामसजीवन एवं श्रीमती कृष्णा कुमारी की ओर से अपराध संख्या–33/2020, धारा–498A, 304B भा0 दं0 सं0 व 3/4 D.P. Act., थाना–सुबेहा, जिला–बाराबंकी के अन्तर्गत इस आशय का दिया गया है कि वे निर्दोष है। उन्होने कोई अपराध कारित नही किया है। उन्हे महज परेशान करने के लिये साजिशन फर्जी रूप से फसा दिया गया है और अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना एवॅ पुलिस प्रपत्रो का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा मे जिला कारागार मे निरूद्ध है। पुलिस प्रपत्रो के परिशीलन के आधार पर अभियुक्तगण पर दहेज मागने व दहेज के लिये प्रताड़ित करने तथा दहेज न मिलने पर वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आधार जमानत अपर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण रामसजीवन एवं श्रीमती कृष्णा कुमारी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(नन्द कुमार)

सी0 जे0 एम 0, बाराबंकी।